बैठक हेतु ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. की
चेक लिस्ट एंव प्राथमिकताओं की सूची

1. **डायरी**—एक डायरी रखे । डायरी में सभी बिंदु प्रति दिवस लिखे एवं कितने बिंदुओं का क्रियान्वयन हुआ ? स्वयं समीक्षा करें । जो बिंदु शेष रह गये हो उन बिंदुओं को पूर्ण करें ।
2. **पदाधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन**—जिला संघ के पदाधिकारियों के साथ कार्य का विभाजन करे एवं सभी के साथ बैठक कर साप्ताहिक कार्यो की समीक्षा करें ।
3. **राज्य मुख्यालय से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण**—विगत ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. की राज्य मुख्यालय में आयोजित बैठकों का कार्यवाही विवरण क्रियान्वयन करें एवं पालन प्रतिवेदन भेजें।
4. **दल भ्रमण**—जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय स्कूलों में दलों का भ्रमण अनिवार्य रूप से किया जावे। प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष कम से कम 20 स्कूलों को चिन्हित कर उन दलों के बच्चों को प्रतिवर्ष राज्यपाल एंव राष्ट्रपति पुरस्कार तक भेजा जावे, विकासखंडों में दल भ्रमण नियमित रूप से किया जावे।
5. **20 दलों का एडवांसमेंट हेतु सूची** — सूची तैयार कर बच्चों एवं शिक्षकों का एडवांसमेंस करावें ।
6. **युवा कार्यक्रम की समीक्षा**— माह अगस्त में द्वितीय सोपान के जॉच शिविरों का आयोजन एंव द्वितीय सोपान/द्वितीय चरण के बच्चों की सूची तैयार कर राज्य मुख्यालय भेजे ।
7. **पेट्रोल लीडर कैंप** —सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह में पेट्रोल लीडर कैंप का आयोजन प्रत्येक विकासखंड में किया जावे इसका विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर भेजे ।
8. **जिला रैली**— माह अक्टूबर मेंजिला रैली के आयोजन करने हेतु आवश्यक तैयारी कर समस्त परिपत्र माह सितम्बर में जारी कराकर राज्य मुख्यालय को अवगत करावें ।
9. **कब—बुलबुल गतिविधियाँः**—संकुल केन्द्र पर कब—बुलबुल गतिविधियों का आयोजन करें ।
10. **रोवर/रेंजर दलः**— जिला स्तर पर 01—01 रोवर—रेंजर दल का गठन किया जावे ।
11.. **वयस्क कार्यक्रम की समीक्षा**— बेसिक/एडवांस कोर्स हेतु शिक्षक/शिक्षिकाओं के नाम की सूची राज्य मुख्यालय भेजे एवं प्रशिक्षण मे सम्मिलित करें ।
12. **शिक्षक प्रशिक्षणः**— प्रत्येक शाला से एक शिक्षक को स्काउट—गाइड का प्रशिक्षण दिलाया जावे एंव प्रशिक्षित शिक्षक को एच.डब्ल्यू.बी. स्तर तक का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया जावे ।
13. **भंडार (साज—सज्जा)** — क्रय आदेश में सामग्री का अधिक से अधिक विक्रय करे ।
14. **पत्रिका "बालचर रवि" सदस्यता** — सदस्यता वृद्धि करें एवं पत्रिका हेतु विज्ञापन प्राप्त करें ।
15. **पंजीयन राशि**— शाला वार विवरण तैयार कर लंबित राशि राज्य मुख्यालय भिजवायें ।
16. **वार्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा**— भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश के वार्षिक कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा नियमित रूप से की जावें और जो कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हुये हैं उन्हें आयोजित किया जावे ।
17 **तदर्थ समितिः**—विकास खंड स्तर पर 07 सदस्यीय तदर्थ समिति बनाई जावे । इसके लिये (1) बी.ई.ओ. (2) बी.आर.सी.सी. (3) प्राचार्य, उत्कृष्ठ स्कूल (4) 02 स्काउटर (5) 02 गाइडर हो ।
18. **अशासकीय/सी.बी.एस.ई. स्कूलों में स्काउटिंगः**— सी.बी.एस.ई. से सम्बद्य व अशासकीय स्कूलों में स्काउटिंग अनिवार्य रूप से प्रारंभ की जावे ।
19. **मासिक प्रतिवेदन**—मासिक कार्य योजना पर कार्य कर मासिक कार्य प्रतिवेदन नियमित रूप से भेजे।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com